

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 हे० सिविल, 0.404 हे० वन पंचायत, कुल 1.344 हे० वन भूमि का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


ASD
R.O.



अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
चमोली, (गोपेश्वर)


ASD

वन क्षेत्राधिकारी
असेड सिमली रेंज
नारायणगढ़


प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली (चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
प्रसिद्धी विकास चमोली
नारायणगढ़